FIROZABAD POLICE
सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा

- **थाना टूण्डला पुलिस टीम के द्वारा हत्या के मुकदमे में फरार 03 शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तगण के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त की गयी गाडी स्कोर्पियों संख्या UP 84 S 7077 बरामद।**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा हत्या व जघन्य अपराध कारित करने वाले फरार अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर फिरोजाबाद के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी टूण्डला महोदय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार व उ0नि0 सन्तोष कुमार मय हमराहीगणो के द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0स0 338/2023 धारा 302/114 भादवि थाना टूण्डला जिला फिरोजाबाद मे बाछिंत अभियुक्तगण 1. राजा उर्फ राहुल पुत्र ब्रिजनन्दन यादव निवासी ककरुउ कोठी नाले की पुलिया के पास सुदामा नगर थाना उत्तर फिरोजाबाद उम्र 19 वर्ष, 2. छिंगा उर्फ नितिन पुत्र सोनू ठाकुर निवासी ककरुऊ थाना उत्तर फिरोजाबाद उम्र करीव 20 वर्ष, 3. कान्हा उर्फ प्रशान्त यादव पुत्र रामप्रकाश यादव निवासी कटी बरी चौराहा थाना उत्तर फिरोजाबाद उम्र 20 वर्ष को घटना मे प्रयुक्त स्कोर्पियों संख्या UP 84 S 7077 के साथ आज दिनांक 10.05.2023 समय 06.30 बजे जरौली कला पुल के नीचे से गिरफ्तार किया गया ।अभियुक्तगण के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर जेल भेजा जा रहा है।

घटना का संक्षिप्त विवरण ----

दिनांक 04.05.2023 की रात्रि मे मुकदमा वादी श्री कमल सिंह चौहान पुत्र श्री अशोक कुमार चौहान नि0 नगला विष्णु थाना लाइनपार जिला फिरोजाबाद का भतीजा विनय सिंह पुत्र जंगजीत सिंह हाल निवासी नगला विष्णु थाना लाइनपार फिरोजाबाद मास्टर ढाबा के पास होटल पर खाना खाने के लिये आया था जहा पर विनय सिंह से कहासुनी हो जाने पर अभियुक्तगण राजा उर्फ राहुल , छंगा उर्फ नितिन , कान्हा उर्फ प्रशान्त यादव के द्वारा अपने सहअभियुक्त काली उर्फ सेठी कुमार , सनी यादव के साथ मिलकर स्कोरपियो गाडी न0 UP84S7077 रंग सफेद से विनय को बार बार गाडी चढाकर के रौंद दिया जिससे विनय की मौके पर ही मृत्यु हो गयी ।मुकदमा वादी के द्वारा थाना हाजा पर मु0अ0स0 338/2023 धारा 302/114 भादवि पंजीकृत कराया गया उक्त घटना का संज्ञान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा तत्काल लेते हुए अपने निर्देशन मे एक स्पेशल पुलिस टीम का गठन किया गया ।पुलिस टीम के द्वारा अभियुक्तगणो के सम्भावित स्थानो पर लगातार दबिश दी जा रही थी जहा पर पुलिस टीम के द्वारा अभियुक्तगण राजा उर्फ राहुल , छंगा उर्फ नितिन , कान्हा उर्फ प्रशान्त यादव को मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 10.05.2023 समय 06.30 बजे जरौली कला पुल थाना टूण्डला जिला फिरोजाबाद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार का दिनांक व समय व स्थान ---- दिनांक 10.05.2023 समय 06.30 एएम बजे स्थान जरौली कंला पुल के नीचे थाना टूण्डला जिला फिरोजाबाद।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण--

1. राजा उर्फ राहुल पुत्र ब्रिजनन्दन यादव निवासी ककरुउ कोठी नाले की पुलिया के पास सुदामा नगर थाना उत्तर फिरोजाबाद उम्र 19 वर्ष।

2.छिंगा उर्फ नितिन पुत्र सोनू ठाकुर निवासी ककरुऊथाना उत्तर फिरोजाबाद उम्र करीव 20 वर्ष।

3.कान्हा उर्फ प्रशान्त यादव पुत्र रामप्रकाश यादव निवासी कटी बरी चौराहा थाना उत्तर फिरोजाबाद उम्र 20 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0 338/2023 धारा 302/114 भादवि थाना टूण्डला जिला फिरोजाबाद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.प्र0नि0 श्री प्रदीप कुमार थाना टूण्डला फिरोजाबाद।

2. उ0नि0 श्री योगेश नागर चौ0प्र0 कस्वा थाना टूण्डला फि0बाद।

3. उ0नि0 श्री सन्तोष कुमार चौ0प्र0 लाईनपार थाना टूण्डला फि0बाद।

4. हैका0 737 राजकुमार थाना टूण्डला जिला फिरोजाबाद।

5.हैका0 346 दिलीप कुमार थाना टूण्डला जिला फिरोजाबाद।

6.का0123 भूपेन्द्र सिह थाना टूण्डला जिला फिरोजाबाद।

6.हैका0 जगदीश सिह थाना टूण्डला जिला फिरोजाबाद।

7.हैका0चा0 धर्मेन्द्र सिह थाना टूण्डला जिला फिरोजाबाद।